बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रशासनिक भवन, बी.वी.सी. प्रांगण, पटना-14

आवश्यक सूचना

Lockdown एवं Social Distancing के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेंट को नियंत्रित करने हेतु विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण/पदाधिकारीगण/ वाह्यश्रोत श्रमिकगण को निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं:

1. विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण/पदाधिकारीगण/वाह्यश्रोत श्रमिकगण हमेशा मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे एवं Hand Sanetizer का प्रयोग समय-समय पर करते रहेंगे।
2. सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।
3. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान एवं कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉगबुक प्रिंट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे।
4. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त साइकिल/ मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड (Double Ride) अनुमान्य नहीं होगा।
5. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राईवर के अतिरिक्त अधिकत्तम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।
6. निजी वाहन (साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
7. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घुमते पाए जाने पर राज्य प्रशासन द्वारा लगाये गए धारा (ओं) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
8. साइकिल चालक/वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। Social Distancing का भी ध्यान रखेंगे।

ह०/-

विश्वविद्यालय प्रशासन

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय